कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक /बैठक/2023 / **दिनांकः–** **2023**

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 सितम्बर 2022 के प्रस्ताव संख्या 17 में लिये गये निर्णय एंव उक्त निर्णय का प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा किये गये अनुमोदन की पालना में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–21/स्थापना/2022/4226–4232 दिनांक 7 नवम्बर 2022 द्वारा गठित भूमि एंव सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंव अध्यक्ष भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति, की अध्यक्षता में दिनांक 05 सितम्बर 2023 को प्राधिकरण कार्यालय में सांय 06.30 बजे अयोजित की गई। उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट–1 पर सलंग्न है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: राजस्व ग्राम धीगांणा के खसरा संख्या 192 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीगांणा प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम धीगांणा के खसरा संख्या 192 किस्म बारानी चर्तुथ रकबा 14.0264 हैक्टेयर में से 25300 वर्गमीटर भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीगांणा हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के संयुक्त मौका निरीक्षण अनुसार राजस्व ग्राम धीगांणा का खसरा संख्या 192 रकबा 14.0264 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है एवं चाही गई भूमि मौके पर नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन के पास स्थित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 की ग्रामीण एरिया में स्थित है। पीडब्ल्यूडी से प्राप्त सूचना अनुसार उक्त भूमि एमडीआर पर स्थित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 डीसीआर अनुसार उक्त सड़क पर विद्यालय अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 192 ग्राम धीगांणा से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ 4000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायो को प्रत्यायोजित की गई है।

प्राधिकरण के आवंटन पत्र क्रमांक 361 दिनांक 17.05.2022 द्वारा उक्त विद्यालय को इसी खसरे में 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जा चुकी है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम धीगांणा के खसरा संख्या 192 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीगांणा को अतिरिक्त 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

निर्णय

जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम धीगांणा के खसरा संख्या 192 किस्म बारानी चर्तुथ रकबा 14.0264 हैक्टेयर में से 25300 वर्गमीटर भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीगांणा हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम धीगांणा के खसरा संख्या 192 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीगांणा प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –2
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 2 :: प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में खाद्य सुरक्षा विंग एवं औषधि नियंत्रण विंग प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

सहायक औषधि नियंत्रक, कार्यालय सहायक औषधि नियंत्रक जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में खाद्य सुरक्षा विंग एवं औषधि नियंत्रण विंग प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के सुयंक्त मौका निरीक्षण अनुसार खाद्य सुरक्षा विंग एवं औषधि नियंत्रण विंग प्रयोजनार्थ विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से पूर्व में एटीएस, एसओजी, लीगल सेल, उपखण्ड अधिकारी एव तहसील कार्यालय प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के बाद शेष बची भूमि का आवंटन हेतु चयन किया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में आवेदित/प्रस्तावित स्थल के क्रम में नगरीय विकास विभाग आदेश दिनांक 19.07.2018 अनुसार प्राधिकरण की अनुमोदित योजना जिनमें सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का उपयोग निर्धारित नहीं एवं योजना की भूमि मौके पर खाली/अविकसित/ अर्द्धविकसित है, में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का अंतिम उपयोग सक्षम अधिकारी/ले–आउट प्लान समिति द्वारा उक्त क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किया जाने का उल्लेख है। जिसके संबंध में प्राधिकरण की ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 20.12.2022 के प्रस्ताव संख्या 15 में विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ ब्लॉक के अंतिम उपयोग हेतु जोन से प्राप्त प्रस्ताव व मानचित्र अनुसार राजकीय कार्यालय एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ येाजना के पार्ट योजना प्लान का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अतः प्रकरण विवेक विहार योजना के सेक्टर–सी में ओसीएफ प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से खाद्य सुरक्षा विंग एवं औषधि नियंत्रण विंग प्रयोजनार्थ 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

निर्णय

सहायक औषधि नियंत्रक, कार्यालय सहायक औषधि नियंत्रक जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में खाद्य सुरक्षा विंग एवं औषधि नियंत्रण विंग प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में खाद्य सुरक्षा विंग एवं औषधि नियंत्रण विंग प्रयोजनार्थ 2500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आंवटित की जावे।	उपायुक्त जोन –2
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 3 :: ग्राम राणानगर ग्राम पचांयत हिगोला के खसरा संख्या 133/1 में ग्राम पचांयत कार्यालय भवन हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम राणानगर ग्राम पचांयत हिगोला के खसरा संख्या 133/1 में ग्राम पचांयत कार्यालय भवन हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

सी.ई.ओ जिला परिषद्, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप प्रपत्र–स एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम राणानगर ग्राम पचांयत हिगोला के खसरा संख्या 133/1 में ग्राम पचांयत कार्यालय भवन हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम राणानगर के खसरा सख्या 133/1 रकबा 0.8094 हैक्टर या 5 बीघा किस्म गै.मु.मैदान राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का एमडीपी 2031 अनुसार भू–उपयोग RURAL है तथा उक्त भूमि एमडीपी की किसी भी तरह की सड़क पर स्थित नही है नगरीय विकास विभाग के आदेश कंमाक के दिनांक 03.06.2022 के अनुसार राज्य सरकार के समस्त शहरो के मास्टर प्लान में जेडडीपी में प्रस्तावित भू– उपयोग यथा पार्क, स्कुले स्थल के संसटीन जोन PLANTATION ZONE एंव इको लॅाजीकल जोन के अलावा अन्य सभी भू उपयोग में राजकीय कार्यालय अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम राणानगर के खसरा संख्या 133/1 से संबंधित कोई वाद लंबित नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 31/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर राणानगर में स्थित गै.मु.मैदान 133/1 मे यदि ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु जेडीए द्वारा आवंटित कर दिया जाये तो कोई आपत्ति नही होगी।

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 03 जुलाई,2021 के आदेशानुसार राजकीय विभागों को निर्धारित सीमा तक भूमि का आवंटन स्थानीय निकायों के स्तर पर अन्य ग्राम/ ग्राम पचांयत स्तरीय कार्यालय हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने के प्रावधान है।

अतः ग्राम राणानगर ग्राम पचांयत हिगोला के खसरा संख्या 133/1 में ग्राम पचांयत कार्यालय भवन हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

सी.ई.ओ जिला परिषद्, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप प्रपत्र–स एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम राणानगर ग्राम पचांयत हिगोला के खसरा संख्या 133/1 में ग्राम पचांयत कार्यालय भवन हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम राणानगर ग्राम पचांयत हिगोला के खसरा संख्या 133/1 में ग्राम पचांयत कार्यालय भवन हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –4
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 4 :: अरणा विहार योजना के खसरा सख्या 88 में विद्युत सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	अरणा विहार योजना के खसरा सख्या 88 में विद्युत सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन की अभिंशषा की गई है।

सहायक अभियंता (पवस), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर, द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम अरणा विहार योजना के खसरा सख्या 88 में विद्युत सब स्टेशन हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है।

कनिष्ठ अभिंयता की रिपोर्ट अनुसार पीयू मुख्य सड़क अरणा विहार पर मौका स्थिति पैरा एन/20 अनुसार रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार पत्रावली में संलग्न अनुमोदित मानचित्र की प्रति का अवलोकन करावे जिसमें पब्लिक युटिलिटि हेतु अरणा– झरणा जाने वाली मुख्य सड़क 40 मी व मिल्क मैन कॉलोनी बडली व अरणा विहार योजना के मध्य 24 मी सड़क पर स्थित है के स्थल को मानचित्र में चिन्हित कर उपलब्ध भूमि की मौका स्थिति अनुसार आवंटित की जानी उचित होगी।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार अरणा विहार योजना के खसरा संख्या 88 से संबंधित 02 वाद लंबित है।

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

जोधपुर डिस्कॉम के Commercial Circular No. 960 के अनुरूप Load Design की गणना अनुसार 2500 KVA से ज्यादा होने के कारण 31KV / 11 KV GSS, हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन विकासकर्ता द्वारा किया जाना है। चूंकि उक्त भूमि/योजना ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर के स्वामित्व की है

अतः **अरणा विहार योजना** के **खसरा संख्या 88** में **विद्युत सब स्टेशन** हेतु **1000 वर्गमीटर** भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

सहायक अभियंता (पवस), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर, द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम अरणा विहार योजना के खसरा सख्या 88 में विद्युत सब स्टेशन हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	अरणा विहार योजना के खसरा सख्या 88 में विद्युत सब स्टेशन हेतु जोधपुर डिस्कॉम के Clause 4.1 के अनुसार 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवटिंत की जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 5 :: **मुसलमान मोयला (कुम्हार) युवा विकास समिति, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि मुसलमान मोयला (कुम्हार) युवा विकास समिति, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

अध्यक्ष, मुसलमान मोयला (कुम्हार) युवा विकास समिति, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर रियायती दर पर भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या संख्या 5 के निर्णयानुसार, बडली के खसरा संख्या 5 में समाजो/संस्थानों को आवंटन हेतु भूमि चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि बेशकीमती भूमि नही है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 14.08.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/– की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 221/जोधपुर/2000–2001 दिनांक 06.01.2001
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में मुसलमान मोयला (कुम्हार) युवा विकास समिति, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

अध्यक्ष, मुसलमान मोयला (कुम्हार) युवा विकास समिति, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर रियायती दर पर भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि मुसलमान मोयला (कुम्हार) युवा विकास समिति, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

प्रस्ताव संख्या 6 :: बसेटा (धोबी) विकास सेवा समिति, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में बालिका सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि बसेटा (धोबी) विकास सेवा समिति, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

सचिव, बसेटा (धोबी) विकास सेवा समिति, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या संख्या 5 के निर्णयानुसार, बडली के खसरा संख्या 5 में समाजो/संस्थानों को आवंटन हेतु भूमि चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि बेशकीमती भूमि नही है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 14.08.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयेाजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/– की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 280/जोधपुर/01–02 दिनांक 31.01.2002
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में बसेटा (धोबी) विकास सेवा समिति,, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

सचिव, बसेटा (धोबी) विकास सेवा समिति, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि बसेटा (धोबी) विकास सेवा समिति, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 7 :: श्री सैन समाज हैल्पिंग हैण्ड सोसायटी, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि श्री सैन समाज हैल्पिंग हैण्ड सोसायटी, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

सचिव, श्री सैन समाज हैल्पिंग हैण्ड सोसायटी, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर रियायती दर पर भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या संख्या 5 के निर्णयानुसार, बडली के खसरा संख्या 5 में समाजो/संस्थानों को आवंटन हेतु भूमि चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि बेशकीमती भूमि नही है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 08.08.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयेाजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/– की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक coop/2019/jodhpur/100663 date- 20-06-2019
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में श्री सैन समाज हैल्पिंग हैण्ड सोसायटी, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

सचिव, श्री सैन समाज हैल्पिंग हैण्ड सोसायटी, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर रियायती दर पर भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि श्री सैन समाज हैल्पिंग हैण्ड सोसायटी, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

प्रस्ताव संख्या 8 :: श्री कुम्हार कल्याण संस्थान, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि श्री कुम्हार कल्याण संस्थान, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

अध्यक्ष, श्री कुम्हार कल्याण संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर रियायती दर पर भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या संख्या 5 के निर्णयानुसार, बडली के खसरा संख्या 5 में समाजो / संस्थानों को आवंटन हेतु भूमि चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि बेशकीमती भूमि नही है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 14.08.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000 / – की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक 125 / जोधपुर / 03–04 दिनांक 09.10. 2003
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तिय वर्ष 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में श्री कुम्हार कल्याण संस्थान, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

निर्णय

अध्यक्ष, श्री कुम्हार कल्याण संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर रियायती दर पर भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि श्री कुम्हार कल्याण संस्थान, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 9 :: चार सम्प्रदाय वैष्णव समाज छात्रावास भवन समिति, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि चार सम्प्रदाय वैष्णव समाज छात्रावास भवन समिति, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

सचिव, चार सम्प्रदाय वैष्णव समाज छात्रावास भवन समिति, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या संख्या 5 के निर्णयानुसार, बडली के खसरा संख्या 5 में समाजो/संस्थानों को आवंटन हेतु भूमि चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि बेशकीमती भूमि नही है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 14.08.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521—15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू—उपयोग एम.डी.पी.—2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू—उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है—

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/— की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक 178/2004—05 दिनांक 29.05.2008
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020—2021, 2021—2022, 2022—2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में चार सम्प्रदाय वैष्णव समाज छात्रावास भवन समिति, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

सचिव, चार सम्प्रदाय वैष्णव समाज छात्रावास भवन समिति, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि चार सम्प्रदाय वैष्णव समाज छात्रावास भवन समिति, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन —5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

प्रस्ताव संख्या 10 :: श्री सैन कुल चौरासी पुरबिया प्याऊ व बगेची संस्था, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि श्री सैन कुल चौरासी पुरबिया प्याऊ व बगेची संस्था, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

अध्यक्ष, श्री सैन कुल चौरासी पुरबिया प्याऊ व बगेची संस्था, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या संख्या 5 के निर्णयानुसार, बडली के खसरा संख्या 5 में समाजो/संस्थानों को आवंटन हेतु भूमि चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि बेशकीमती भूमि नही है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 14.08.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयेाजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/– की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक 485/84–85 दिनांक 20.12.1984
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में श्री सैन कुल चौरासी पुरबिया प्याऊ व बगेची संस्था, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

अध्यक्ष, श्री सैन कुल चौरासी पुरबिया प्याऊ व बगेची संस्था, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि श्री सैन कुल चौरासी पुरबिया प्याऊ व बगेची संस्था, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 11 :: रांकावत (देशस्थ ऋग्वेदी) ब्राम्हण सार्वजनिक प्रन्यास, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि रांकावत (देशस्थ ऋग्वेदी) ब्राम्हण सार्वजनिक प्रन्यास, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

सचिव, रांकावत (देशस्थ ऋग्वेदी) ब्राम्हण सार्वजनिक प्रन्यास, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या संख्या 5 के निर्णयानुसार, बडली के खसरा संख्या 5 में समाजो/संस्थानों को आवंटन हेतु भूमि चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि बेशकीमती भूमि नही है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 14.08.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/– की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक 17/93/जोधपुर दिनांक 04.11.1993
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में रांकावत (देशस्थ ऋग्वेदी) ब्राम्हण सार्वजनिक प्रन्यास, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

सचिव, रांकावत (देशस्थ ऋग्वेदी) ब्राम्हण सार्वजनिक प्रन्यास, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि रांकावत (देशस्थ ऋग्वेदी) ब्राम्हण सार्वजनिक प्रन्यास, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

प्रस्ताव संख्या 12 :: श्रीमाली ब्राम्हण समाज, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि श्रीमाली ब्राम्हण समाज, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

श्रीमाली ब्राम्हण समाज, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है–

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 18.08.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयेाजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/– की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 54/1969–70 दिनांक 11.06.1969
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2019–2020–2020,2021,2021–2022 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में श्रीमाली ब्राम्हण समाज, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

श्रीमाली ब्राम्हण समाज, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि श्रीमाली ब्राम्हण समाज, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 13 :: ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में राजकीय पशु चिकित्सालय हेतु 929.02 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत्

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में राजकीय पशु चिकित्सालय हेतु 929.02 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत

संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग जोधपुर, ग्राम पंचायत चौखा द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में राजकीय पशु चिकित्सालय हेतु 10000 वर्ग फुट (929.02 वर्ग मीटर) भूमि आवंटन भूमि आवंटन की मांग की गई है। खसरा नं. 88 ग्राम बडली की किस्म गै.मु.छीतर है। राजस्व रेकॉर्ड अनुसार स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण का है, मोके पर उक्त भूमि राजकीय पशु चिकित्सालय हेतु उपयोग में ली जा सकती है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग डीसीआर अनुसार Rural Area दर्शाया गया है DCR अनुसार पृथ्क से राजकीय पशु चिकित्सालय उपयोग का उल्लेख नहीं है परन्तु Public Utilities को On all road after approval from competent authority दर्शाया गया है Festival city lend use में Dispensary, Clinic, Diagnostic Center को 40 फीट & Above रोड पर अनुज्ञेय बताया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 रकबा 929.02 वर्गमीटर राजकीय पशु चिकित्सालय हेतु भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार राजकीय पशु चिकित्सालय संभागीय मुख्यालय अधिकतम क्षेत्रफल पर 3000 वर्गमीटर तक एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन कि जा सकती है।

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में राजकीय पशु चिकित्सालय हेतु 929.02 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग जोधपुर, ग्राम पंचायत चौखा द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में राजकीय पशु चिकित्सालय हेतु 10000 वर्ग फुट (929.02 वर्ग मीटर) भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में राजकीय पशु चिकित्सालय हेतु 929.02 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावें।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 14 :: राजस्व ग्राम सालावास खसरा संख्या 90 में रकबा 28500 वर्गमीटर भूमि उप जिला चिकित्सालय प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजस्व ग्राम सालावास खसरा संख्या 90 रकबा 28500 बीघा भूमि उप जिला चिकित्सालय प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, जोधपुर द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति–2015 के तहत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजस्व ग्राम सालावास खसरा संख्या 90 उप जिला चिकित्सालय निर्माण प्रयोजनाार्थ हेतु 30 बीघा (20500 वर्गवमीटर) भूमि निःशुल्क आवंटन करनें की मांग की गई।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 07.09.2022 के प्रस्ताव संख्या 6 कें निर्णयानुसार उप जिला चिकित्सालय प्रयोजनार्थ 8000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करनें तथा शेष अतिरिक्त भूमि आवंटन के संबंध में संपूण तथ्यों का समावेश करते हुए अतिरिक्त भूमि आवंटित किये जानें के औचित्य सहित प्रकरण

Signature valid
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

राज्य सरकार को कार्यकारी समिति की अतिरिक्त भूमि आवंटन किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण द्वारा ग्राम सालावास के खसरा संखय 90 में उप जिला चिकित्सालय प्रयोजनार्थ हेतु 8000 वर्गमीटर भूमि पूर्व में आवंटन क्रमांक – एफ–46/आवंटन(दक्षिण)/ 2022/ 1523 दिनांक 1/11/2022 के जरियें आवंटन किया जा चुका हैं। शेष भूमि का आंवटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की समिति बैठक के समक्षे ग्राम सालावास खसरा संख्या 90 में रकबा 20500 वर्गमीटर भूमि आंवटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एंव उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, जोधपुर द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षैत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति–2015 के तहत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजस्व ग्राम सालावास खसरा संख्या 90 उप जिला चिकित्सालय निर्माण प्रयोजनाार्थ हेतु 30 बीघा (20500 वर्गवमीटर) भूमि निःशुल्क आवंटन करनें की मांग की गई।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	राजस्व ग्राम सालावास खसरा संख्या 90 उप जिला चिकित्सालय प्रयोजनार्थ हेतु 20500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –3
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 15 :: श्री वुणाराव युवा संस्थान, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क. स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि श्री वुणाराव युवा संस्थान, जोधपुर छात्रावास एवं सामुदायिक भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

श्री वुणाराव युवा संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है–

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 18.08.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/– की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 197/जोधपुर–2017–18 दिनांक 22.09.2017
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में श्री वुणाराव युवा संस्थान, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

श्री वुणाराव युवा संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि श्री वुणाराव युवा संस्थान, जोधपुर छात्रावास एवं सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

क्रमांक /बैठक/2023/ दिनांकः– 2023

प्रतिलिपि वास्ते सचूनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
3 निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4 उपायुक्त–जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6 ....

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276

परिशिष्ट –1

श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास , प्राधिकरण , जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 05 सितम्बर , 2023 को सांय 6.30 बजे आयोजित भूमि निस्तारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

01. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
02. डॉ हरीतिमा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
03. श्री श्रवण सिंह , उपायुक्त जोन–3/4 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
04. श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, उपायुक्त जोन –5 , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
05. श्री महेन्द्र चौधरी , निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
06. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
07. श्री महेन्द्रसिंह पंवार ,निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।

Signature valid

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.09.09 20:17:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4687276